भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

07.08.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2357 का उत्तर

रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता संबंधी कार्य बेहतर करने के उपाय

2357. श्री के. आर. एन. राजेश कुमार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में स्वच्छता संबंधी कार्य बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए कौन-सी निगरानी प्रणाली अपनाई गई है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): स्वच्छता एक सतत् प्रक्रिया है और रेलवे स्टेशनों तथा रेलगाड़ियों को समुचित रूप से स्वच्छ रखने का हर संभव प्रयास किया जाता है। रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में स्वच्छता में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

- पेशेवर एजेंसियों के माध्यम से मशीनीकृत सफाई की जा रही है। उच्च दाब वाले जेट क्लीनर, फ्लोर स्क्रबर, गीले और सूखे वैक्यूम क्लीनर आदि जैसे मशीनें उपयोग में लाई जाती हैं।
- स्टेशनों पर, स्रोत स्थानों पर कचरे के संग्रह और पृथक्करण के लिए दोहरे कूड़ेदान प्रदान किए जाते हैं।
- रेलगाड़ियों में उत्पन्न कचरे को नियमित अंतराल पर नामित कचरा प्रबंधन स्टेशनों पर एकत्र किया जाता है।
- भारतीय रेल में स्वच्छता मानकों में महत्वपूर्ण और संधारणीय सुधार लाने के उद्देश्य से नियमित रूप से स्वच्छ भारत अभियान के तहत विशेष स्वच्छता अभियान और स्वच्छता पहल/अभियान आयोजित किए जाते हैं।

- रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों, रेलगाड़ियों, रेलवे कॉलोनियों, अस्पतालों, कारखानों, उत्पादन इकाइयों और अन्य सभी रेल प्रतिष्ठानों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में सभी प्रशासनिक स्तरों पर कचरे के पृथक्करण, संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण और वैज्ञानिक तरीके से निपटान, निगरानी तंत्र और सुपरिभाषित जिम्मेदारियों के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देशों का उल्लेख किया गया है।
- रेलगाड़ियों में प्रभावी आद्योपांत स्वच्छता और साफ-सफाई प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस (ओबीएचएस) प्रदान की जाती है जो वर्तमान में 1450 (जोड़ी) चिह्नित लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में उपलब्ध है।
- सभी सवारी डिब्बों (साधारण श्रेणी सहित) में स्वच्छता के लिए एक ही सेवा प्रदाता, प्रौद्योगिकी-सक्षम निगरानी, प्रशिक्षित कर्मचारियों और पीएनआर-लिंक यात्री प्रतिक्रिया के माध्यम से आद्योपांत उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए संवर्धित ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विसेज (ओबीएचएस) नीति शुरू की गई है। सभी क्षेत्रीय रेलों को प्रारंभ में प्रत्येक पाँच चिह्नित रेलगाड़ियों में इस नीति को लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है जिसका निष्पादन समीक्षा के आधार पर चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा। उत्तर रेलवे में संवर्धित ओबीएचएस सेवा शुरू कर दी गई है। अन्य क्षेत्रीय रेलों पर यह कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
- 63 स्टेशनों पर 2800 रेलगाड़ियों के लिए स्वच्छ ट्रेन स्टेशन (सीटीएस) योजना को लागू किया गया है। इस योजना के तहत, सफाई उपकरणों से युक्त कर्मचारियों की एक समर्पित टीम ठहराव के दौरान डिब्बा शौचालयों और वॉशबेसिन की सफाई करती है और रेलगाड़ियों के कूड़ेदान से कचरा एकत्र करती है।
- यात्री डिब्बों में बायो-शौचालय संस्थापित कर रेलगाड़ियों से सीधे मानव अपशिष्ट का विसर्जन समाप्त कर दिया गया है। बायो-शौचालयों के प्रावधान का विवरण निम्नानुसार है:

अवधि	**लगाए गए बायो-टॉयलेटों की संख्या**
2004-2014	9,587
2014- जून 2026 तक	3,63,990 (लगभग 38 गुना)

- भारतीय रेल में स्वच्छता बनाए रखने के लिए नियमित रूप से यात्री जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।
- मंडल, क्षेत्रीय और मुख्यालय स्तर पर स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों/वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित जांच/आकस्मिक जांच की जाती है।
- रेल मदद पोर्टल बनाया गया है ताकि किसी भी श्रेणी के यात्री मोबाइल ऐप पर या एसएमएस के माध्यम से यात्री सुविधाओं, सफाई, सुरक्षा आदि से संबंधित अपनी आवश्यकताओं को दर्शा सकें और सहायता मांग सकें।
